न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – डॉ. अंशु प्रिया, आई.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देलदर		श्री शंकरलाल पुत्र कल्लाजी, जाति रेबारी, सा. आबूपर्वत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद 8/2025

दिनांक 10/02/2026

–: निर्णय :–

यह राजस्व वाद वादी की ओर से प्रतिवादी के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश कर कथन किया कि मौजा ग्राम मांचगांव पटवार मण्डल आबूपर्वत के खसरा नंबर 185 रकबा 0.0379 हैक्टेयर किस्म पड़त III खातेदार श्री शंकर पुत्र कल्लाजी, जाति रेबारी सा. आबूपर्वत के नाम दर्ज है। यह कि उक्त भूमि के खसरा नंबर 185 रकबा 0.0379 हैक्टेयर में से 16 x 8 = 128 वर्गफीट भूमि में पोलो ग्राउण्ड़ की तरफ सड़क की ओर मौके पर श्री बाबूलाल पुत्र नेतीराम देवासी निवासी सिरोडी तहसील रेवदर हाल निवासी वंदे मातरम आबूपर्वत द्वारा कृष्णा फुड कॉर्नर बनाकर व्यवसाय किया जा रहा है। जो कि बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कृषि भूमि में अवैध निर्माण किया जाकर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। यह कि उक्त खातेदारी कृषि भूमि पर 128 वर्गफीट में व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। अतः उक्त भाग पर बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के मौके पर वर्तमान में 128 वर्गफीट में निर्माण कार्य किया जाकर फुड कॉर्नर (व्यवसायिक उपयोग) संचालित किया जा रहा है। अतः खातेदारी का उपयोग कृषि से अकृषि उपयोग किये जाने से नियमानुसार बिलानाम दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश कर कथन किया गया कि अप्रार्थी का तथाकथित कृष्णा फुड़ कॉर्नर अप्रार्थी के स्वयं के पट्टेशुदा परिसर में स्थित है। जिसका पट्टा विलेख नगरपालिका मण्डल, आबूपर्वत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में 379 वर्गमीटर का प्रयोजनार्थ अप्रार्थी के पक्ष में जारी कर उप पंजीयक, देलदर के कार्यालय में क्रमांक 202403600101218 दिनांक 26.11.2024 को रजिस्टर्ड कराया गया है। कि नगरपालिका आबूपर्वत ने उक्त पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व अप्रार्थी सं रू. 36,64,884/– का राजस्व जरिये रसीद सं.द 23 बुक नं. 19 दिनांक 12.03.2024 के द्वारा नगरपालिका कोष में प्राप्त किया गया है। कि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा तथाकथित कृष्णा फुड़ कॉर्नर किसी कृषिभूमि पर स्थापित/संचालित नही है वरन् अप्रार्थी के स्वामित्व की पट्टेशुदा व्यावसायिक भवन पर स्थापित/संचालित है, जिसका अनुज्ञा–पत्र भी जारीशुदा है। यदि प्रार्थी पक्ष ने उक्त राजस्व भू–अभिलेख में आदिनांक नही किया है तो उसके लिये अप्रार्थी उत्तरदायी नही है।

बहस सुनी गई। अप्रार्थी द्वारा पेश नगरपालिका आबूपर्वत द्वारा जारी पट्टा [illegible]5.03.2024 खसरा नंबर 185 जिसमें 200 वर्गमीटर व्यवसायिक व 179 वर्गमीटर होटल श्रेणी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.03.11 18:36:46 IST
Reason: SelfAttested

जारी किया गया है। जो दिनांक 26.11.2024 को उपपंजीयक (तहसीलदार) देलदर द्वारा पंजीकृत है। तहसीलदार देलदर द्वारा उक्त प्रकरण दिनांक 23.05.2025 को दर्ज कराया गया है। रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । संलग्न पट्टे जो कि पंजीयन शुदा है। उसको देखा गया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित नही किया जाकर सीधे ही तहसीलदार देलदर को आदेशित किया जाता है कि उक्त पट्टे व रेकर्ड से जांच करें एवं नियमानुसार प्रकरण में अपने स्तर से जांच कर उचित कार्यवाही करें। संलग्न रिकॉर्ड अनुसार धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही परिपोषणीय नही होने से खारिज की जाती है।

(डॉ. अंशु प्रिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर
आबूपर्वत

प्रतिलिपि :– तहसीलदार, देलदर को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.03.11 18:36:46 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री वमुकदमें इब्तदाई

(ऑ. 21 रूल 6,7 जाब्ता दिवानी)

पीठासीन अधिकारी डॉ. अंशु प्रिया, आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 8/2025

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देलदर

वादीगण

वनाम

शंकरलाल पुत्र कल्लाजी, जाति रेवारी, सा. आवूपर्वत

प्रतिवादीगण

दिनांकः—10.2.2026

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह आज मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू हमारे व हाजीर अधिवक्ता वादीगण मिनजानिव मुदई प्रतिवादी पैरोकार मिनजानिव मुदई व अधिवक्ता प्रतिवादी मिनजानिव मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित नही किया जाकर सीधे ही तहसीलदार देलदर को आदेशित किया जाता है कि उक्त पट्टे व रेकर्ड से जांच करें एवं नियमानुसार प्रकरण में अपने स्तर से जांच कर उचित कार्यवाही करें। संलग्न रिकॉर्ड अनुसार धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही परिपोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निचे.....मुतलिक.....वावत.....खर्चा इन मुकदमें के मय सूद वगैरह..... फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक.....को अदा करें।

वसीव्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज दिनांक10—2—2026 को जारी की गई है।

(डॉ. अंशु प्रिया) I.A.S.
सहायक कलेक्टर
आवूपर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.03.11 18:36:46 IST
Reason: SelfAttested